<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 13 / 2021 (डूंगरपुर डिक्री)</u>

1. विजयसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी सरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. बलवन्तसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी सरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. गजेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी सरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. विक्रमसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी सरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. निर्मल कुमार पिता नाथुलाल जी कोठारी जैन महाजन, निवासी सरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. धनपाल पिता नाथुलाल जी कोठारी जैन महाजन, निवासी सरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. सुन्दरलाल पिता नाथुलाल जी कोठारी जैन महाजन, निवासी सरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. जयन्तिलाल पिता नाथुलाल जी कोठारी जैन महाजन, निवासी सरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. श्रीमती सरोज देवी पुत्री नाथुलाल जी कोठारी जैन महाजन, निवासी सरोदा हाल मुकाम पत्नि मुकेश कुमार गुजराती, निवासी सालमगढ़, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
7. उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा दिनांक
13.08.2019 प्रकरण संख्या 2 / 2017

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजीव भटनागर अभिभाषक रे. सं. 1 सें 5

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 08–08–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:26 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरोदा की आराजी नंबर 3151 रकबा 19 बिस्वा एवं आराजी नंबर 3152 रकबा 17 बिस्वा पर वादीगण 1976 से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता नाथूलाल जी ने प्रतिवादीगण के पिता अमरसिंह से उक्त आराजीयात दिनांक 07–01–1976 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, तब से आज दिनांक तक वादीगण काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु अमरसिंह जी की मृत्यु होने पर विरासत से उक्त भूमि प्रतिवादीगण व उनकी बहनों के नाम दर्ज हो गयी, जबकि मौके पर कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है। अतः वादीगण को आराजी नंबर 3151 रकबा 19 बिस्वा एवं आराजी नंबर 3152 रकबा 17 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 5 तनकियां कायम की गयी तथा अपने निर्णय दिनांक 13–08–2019 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित किया एवं डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील दिनांक 24–09–2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता संजीव भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:26 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध दिनांक 27–02–2019 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दिये जाने से वह प्रकरण में अपना पक्ष नहीं सके। विवादित आराजियात अपीलान्टगण के पिता द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के पिता को कभी भी विक्रय नहीं की गयी हैं एवं न ही उनका कब्जा है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 7 जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 में अन्य आराजियात के साथ विवादित आराजी नंबर 3151 रकबा 19 बिस्वा एवं आराजी नंबर 3152 रकबा 17 बिस्वा भूमि अपीलान्टगण के पिता अमरसिंह के खातेदारी में दर्ज है तथा अमरसिंह द्वारा दिनांक 23–01–1976 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त आराजियात रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के पिता नाथूलाल को विक्रय किया जाना प्रदर्श 2 एवं प्रदर्श ए.2 के अवलोकन से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकीवार विवेचन में उक्त तथ्यों को अंकित करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 13–08–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
प्रदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:26 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

विजयसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी सरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य बनाम **निर्मल कुमार पिता नाथूलाल जी कोठारी जैन महाजन, निवासी सरोदा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**13/2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सागवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....13**.....माह.....**08**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**.08**....माह.....**.08**....सन् **2024** रूबरू.....**.पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री लालसिंह चुण्डावत**...मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री संजीव भटनागर**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 13–08–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**08**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:26 IST
Reason: SelfAttested